कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–लखनऊ, (उ0प्र0)।

पत्रांक – 952 दिनांक– 10.11.2022

1–जिला विघालय निरीक्षक,
लखनऊ।
2–बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

विषयः–आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं उनके वास्तविक चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए, विघालयों को अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक–सीएसआर फण्ड उपलब्ध कराने एवं विघालयों को जीरो फीस माडल स्कूलों के रूप में चयनित करने के लिए उनके मूल्यांकन–अध्ययन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक, जा की एक अर्न्तराज्यीय बैंक है,द्वारा अर्न्तराज्यीय बैंक समूह एवं भारत सरकार,नई दिल्ली के सहयोग से समस्त जनपदों के कक्षा 1 से 12 तक के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शुल्क की प्रतिपूर्ति एवं उनके वास्तविक चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए, मान्यता प्राप्त विघालया को, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक–सीएसआर फण्ड उपलब्ध कराने के लिए, उनको चयनित करने के लिए,उनका मूल्यांकन–अध्ययन कराया जा रहा है। अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक के लिये सभी कार्य अन्तर्राज्यीय–फन्डिंग एजेन्सी,एसजीएसवाई ई–मार्केटिंग एवं इन्फारमेशन परियोजना, द्वारा कियें जायेंगे।

आपको निर्देशित किया जाता है कि, आर्थिक रूप से कमजोर कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों द्वारा अपना समस्त विवरण एवं अन्य आवश्यक सूचनाये, निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद के समस्त सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विघालयो को पत्र द्वारा निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर समस्त छात्र, उपरोक्त महत्वपूर्ण परियोजना से लाभान्वित हो सके।

भवदीया

अपर जिलाधिकारी,न्यायिक,
कृते जिलाधिकारी,जनपद–लखनऊ।

पत्रांक– 952 उक्त दिनांक 10.11.2022

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.निदेशक,एसजीएसवाई ई–मार्केटिंग एण्ड इन्फारमेशन परियोजना,लखनऊ।
2.मुख्य विकास अधिकारी, जनपद–लखनऊ (उ0प्र0)।
3.समस्त खण्डविकास अधिकारी, जनपद–लखनऊ, को इस निर्देश के के साथ की मान्यता प्राप्त अस्पतालों के चयन में परियोजना को सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।
4.जिला सूचना अधिकारी, जनपद–लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

अपर जिलाधिकारी,न्यायिक,
कृते जिलाधिकारी,जनपद–लखनऊ।